विविध बैंक प्रकरण संख्या 78/2021(GCMS : 2021/215) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नगरपालिका रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पंखीलाल मीना, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–5, पश्चिम हनुमानगढ, नजदीक लाल चौक, हनुमागढ जं. (राज.) बनाम 1. मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज, जरिये प्रोपराईटर श्री गजानन्द पुत्र जयमलराम, दुकान नं. 15, नजदीक नगरपालिका, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज – प्रो. गजानन्द को ऋण सुविधा के रूप में 08.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 10.10.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी द्वारा दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 18.07.2021 को 09,61,046/–रूपये ऋण राशि व उसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 19.07.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस के अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मै. गणपति स्कूल ड्रैसेज– प्रो गजानन्द को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.08.2021 को भिजवाया गया है जो अप्रार्थी ऋणी को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. गणपति स्कूल ड्रैसेज– प्रो गजानन्द द्वारा प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी** मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज – प्रो. गजानन्द को 8.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 10.10.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में** मै. गणपति स्कूल ड्रैसेज– प्रो गजानन्द द्वारा दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतियां प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 19.07.2021 को जारी किये गये जो पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.08.2021 को भिजवाये गये, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मै. गणपति स्कूल ड्रैसेज– प्रो गजानन्द द्वारा दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतियां जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.07.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 19.07.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.08.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज – प्रो. गजानन्द को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाता है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज – प्रो. गजानन्द के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स गणपति स्कूल ड्रेसज–प्रो. गजानन्द, दुकान नं. 15, नजदीक नगरपालिका, सादुलशहर द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखा गया दृष्टि बधंक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested